न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/246

1. जगदीश पुत्र ओंकारमल,
2. किशोर पुत्र ओंकारमल,
   समस्त जाति माली निवासीगण ग्राम दानी झिराणा, तहसील नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. चन्दगीराम पुत्र पेमाराम,
2. श्रीमती सरोज पत्नि सेडूराम,
   समस्त जाति जाट निवासीगण वार्ड नम्बर 19 नीमकाथाना तहसील व जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर।
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर।

— रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना दिनांक 30.05.2024 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट उनवानी चन्दगीराम वगै0 बनाम भूमिधारी मु0 नं0 214/2024 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री सीताराम सैनी, वकील अपीलान्ट्स।
2. श्री अविनाश चौधरी, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 23.03.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर के निर्णय दिनांक 30.05.2024 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 14.06.2024 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं कब्जेकाश्त की खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 354 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 355 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 356 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 357 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 358 रकबा 1.60 है0, खसरा नम्बर 359 रकबा 0.03 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 1.77 है0 वाके ग्राम झिराणा, पटवार हल्का झिराणा, तहसील व जिला नीमकाथाना में स्थित है, जो प्रार्थीगण के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार नीमकाथाना के आदेश की पालना में दिनांक 11.06.2023 को पटवारी हल्का झिराणा द्वारा मौके पर पहुँचकर फर्द मौका सीमाज्ञान तैयार किया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना द्वारा हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिये गये कि राजस्व ग्राम झिराणा, पटवार हल्का झिराणा, तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 354, 355,

356, 357, 358, 359 कुल किता 6 कुल रकबा 1.77 है0 की प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 11.06.2023 पत्थरगढ़ी किये जाने एवं दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2024 पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना के उक्त निर्णय दिनांक 30.05.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट जगदीश पुत्र ओंकारमल वगै0 ने यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना दिनांक 30.05.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2024 विरूद्ध कानून तथा विरूद्ध पत्रावली है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपने आवेदन में यह कथन किया गया कि मौके पर पक्षकारों के आपस में सीमाओं को लेकर विवाद है तथा उक्त प्रकरण में चन्दगीराम ने अपीलांटस खातेदारान को 128 एल0एल0एक्ट में पक्षकार नहीं बनाया तथा मिथ्या कथनों के आधार पर अपीलांटस जो कि प्रभावित व्यक्ति है तथा पत्थरगढ़ी आदेश में अपीलांटस की भूमि खसरा नम्बर 348, 349, 350 कुल किता 3 कुल रकबा 0.85 एवं खसरा नम्बर 351, 352, 353 कुल किता 3 कुल रकबा 0.31 हैक्टर अपीलांटस के खाते कब्जे, काश्त एवम खातेदारी की भूमियां है। अपीलांट जो कि इस पत्थरगढ़ी आदेश से प्रभावित व्यक्ति होने के बावजूद भी बिना अपीलांटस को पक्षकार बनाए कानून व नियमों के विरूद्ध अपीलांटस की भूमि को भी पत्थरगढ़ी में शामिल करने के कारण आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है तथा निरस्त किए जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट्स ने अपने आवेदन में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि मौके पर पक्षकारान के आपस में सीमाओं को लेकर विवाद है, फिर भी रेस्पोडेन्ट्स ने अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया जबकि कानूनन सीमाज्ञान में पडोसी खातेदार को नोटिस दिया जाकर नियमानुसार सीमाज्ञान करवाकर अधीनस्थ न्यायालय में भी पत्थरगढ़ी कार्यवाही के आवेदन में अपीलांटस को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की ओर गौर न कर कानून के विपरीत जाकर आदेश पारित किया गया है जो स्थिर रहने योग्य नहीं है तथा निरस्त किए जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद भी अपीलांटस को पक्षकार नहीं बनाया गया, अगर अपीलांटस को पक्स्कार बनाया जाता तो उसकी ओर से अपना पक्ष रखा जाता, वास्तविक स्थिति के लिए जवाब देता, साक्ष्य प्रस्तुत करता परंतु रेस्पो० संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलांटस को पक्षकार बनाये विना एकतरफा में पारित आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है तथा निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा दिनांक 30.05.2024 को पत्थरगढ़ी करने का आदेश पारित किया गया है उसमें अपीलांट को पक्षकार बनाकर सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया था। पत्थरगढ़ी आदेश में अपीलांट की भूमि को भी सम्मिलित किया गया है, इस कारण अपीलाधीन प्रकरण में अपीलांट के प्रत्यक्ष हित निहित होने के कारण अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील हितवद्ध व्यक्ति की हैसियत से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। न्यायहित में अपीलाधीन प्रकरण में अपीलांट के प्रत्यक्ष हित निहित होने के कारण अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना उचित व

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

आवश्यक है। इस सम्बन्ध में अलग से भी एक आवेदन अंतर्गत धारा 96 सी०पी०सी० प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा प्रकरण उनवानी चन्दगीराम वगैरह बनाम भूमिधारी मु०नं० 214/2024 में पारित निर्णय दिनांक 30.05.2024 निरस्त किया जाना प्रार्थनीय है।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं कब्जेकाश्त की खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 354 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 355 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 356 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 357 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 358 रकबा 1.60 है0, खसरा नम्बर 359 रकबा 0.03 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 1.77 है0 वाके ग्राम झिराणा, पटवार हल्का झिराणा, तहसील व जिला नीमकाथाना में स्थित है, जो प्रार्थीगण के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार नीमकाथाना के आदेश की पालना में दिनांक 11.06.2023 को पटवारी हल्का झिराणा द्वारा मौके पर पहुॅचकर फर्द मौका सीमाज्ञान तैयार किया गया था। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर बदस्तूर कब्जा काश्त होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है और प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी आराजीयात व फसल की पशुओं से सुरक्षार्थ आदि के लिये पत्थरगढी इत्यादि करवाने का कानूनन हक, अधिकार प्रदत्त है। उन्होंने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की आराजी की ही पत्थरगढी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2024 पारित किये गये। जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थीगण को किसी प्रकार के उज्रात करने का कानूनी हक अधिकार प्रदत्त नहीं है बल्कि अपीलार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को बैजा हैरान परेशान करने के उद्देश्य से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील पेश की गई है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जावें।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2024 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स द्वारा अपनी अपील के संलग्न ऐसे कोई प्रमाणित दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वे अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2024 से किस प्रकार प्रभावित व पीड़ित पक्षकार है। अपीलान्ट्स यह भी साबित नहीं कर पाया है कि वह रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का किस प्रकार पड़ौसी खातेदार एवं सह खातेदार है। अपीलान्ट्स को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्षों की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि आराजी खसरा नम्बर 354 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 355 रकबा 0.05

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

है0, खसरा नम्बर 356 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 357 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 358 रकबा 1.60 है0, खसरा नम्बर 359 रकबा 0.03 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 1.77 है0 वाके ग्राम झिराणा, पटवार हल्का झिराणा, तहसील व जिला नीमकाथाना में स्थित है, जो प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि है।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना द्वारा हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिये गये कि राजस्व ग्राम झिराणा, पटवार हल्का झिराणा, तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 354, 355, 356, 357, 358, 359 कुल किता 6 कुल रकबा 1.77 है0 की प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 11.06.2023 पत्थरगढ़ी किये जाने एवं दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2024 पारित किये गये हैं, जो उचित एवं विधिसम्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.05.2024 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2024 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थीगण की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.05.2024 यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर